TEA BOARD
14, Biplabi Trailokya Maharaj Sarani
Kolkata – 700001

Ref: - Law/08/2013 Dated: 21.05.2015

Circular

I am directed to send herewith a copy of notification, S.O. 1012 (E) dated 15.04.15 published in the Gazette of India for information and necessary action.

(A. Rajan)
Statistician & Secretary (I/C)

Enclosed: As stated above.

Distribution:

All producers Association	For bringing it to the notice of all concerned members of your association
All Auction Organisers	

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2015/चैत्र 25, 1937
No. 779] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2015 /CHAITRA 25, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2015

का.आ. 1012 (अ).— केन्द्रीय सरकार चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (जिसे इसमें इसके मूल आदेश कहा गया है) में पैरा 2 में, -

(क) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(घ घ) "जिला मॉनीटरिंग समिति" से तात्पर्य प्रत्येक चाय उगाने वाले जिले में चाय के लघु उगाने वाले को दी जा रही हरी पत्ती की कीमत की मॉनीटरिंग करने के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित समिति से है;';

(ख) खंड (ञ) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(ञ ञ) "चाय के लघु उगानेवाले से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो 10.12 हे. (25 एकड़) तक के चाय क्षेत्र का स्वामी है;';

(ग) खंड (थ) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(थ थ) "आउट टर्न प्रतिशत" से तात्पर्य हरी पत्ती तथा निर्मित चाय की मात्रा के बीच का संपरिवर्तन है;';